DIRECTORATE OF PROSECUTION
Daman & Diu (U.T.)

U.T. Administration of Daman & Diu.
Citizen's Charter of Director of Prosecution

Citizen's Charter

The Citizen Charter of the Department of Prosecution, Daman and Diu, Daman has been approved by the Hon'ble Administrator, Daman & Diu vide diary No. 5843 dated 27/08/2012.

CONTENTS

- Introduction
- Organization
- The Director
- The public Prosecutor
- The Asst. Public Prosecutor
- Motto

PROSECUTION (U.T.)

c/13

Introduction

The Directorate of Prosecution was established in the year 2012. The office of the Directorate of Prosecution is the Headquarter of the Prosecution of the U. T. Administration of Daman & Diu having its office at Moti Daman.

The Directorate is headed by a 'Director" who is an overall supervisory authority of the Prosecution in the U. T. Administration of Daman & Diu. The Director acts the Co-coordinator between the Investigating Agency and the Prosecutors. This prosecuting Agency is separate and independent from the Investigation agency and also from the Judiciary.

The Directorate is responsible for the conduct of the prosecution in all the courts in the U. T. Administration of Daman & Diu and liberty of scrutinizing the evidence in all the cases prior to their filing in the courts and ensures that the investigation is conducted in accordance with law.

(stamp: ...SECUTION ... (U.T.) ...)

Organization

The Directorate of Prosecution is headed by the Director of Prosecution who is appointed under Section 25- A of Cr. P. C. The Secretary (Home) of the U. T. Administration of Daman & Diu is the Administrative Secretary for the Directorate of Prosecution.

The Directorate of Prosecution shall function under the Administrative control of the Head of the home department in the U. T. Administration of Daman & Diu under provision section -25 –A (3) of Cr. P.C.

At present there is 01 standing counsel in the Hon'ble High court at Bombay appointed for a period of 03 years w. e. f. 11/08/2009 and 02 Public Prosecutor appointed as case wise fees basis on appearance at session court Daman District & Diu District separately. 01 sanction post of Public Prosecutor (Gazeted Group 'A')for Daman & Diu is presently vacant & under process for filling the post by U.P.S.C.

At present there are 02 sanctioned post of Assistant public prosecutor (Gazeted, Group 'B'), 01 is for Daman District and 01 for Diu District, they are working in the court of Chief Judicial Magistrate Daman & Diu. All Prosecutors are working under the Directorate. An offices of the APPs and the PPs are situated in the respective court premises, except the PP in the Hon'ble High court.

The post of Director of prosecution is created by MHA. New Delhi in the month of February 2012 and subsequently the Hon'ble Administrator of Daman & Diu created the post and appointed 'Director'. Thereafter the Director of Prosecution had started the function of office and there by the UT of Daman & Diu had complied the section 25-A-of Criminal Procedure code at present creation of staff for the Directorate of prosecution is under process.

9/11

Organizational Chart

Home Department

↓

Director of Prosecution,

P.S. Mangera

↓

Standing Counsel (P.P.) High Court

Fees applicable at prescribed by Govt. Of India Ministry of Law & Justice.

↓

Public Prosecutors (Session Court)

01 case wise fees basis on his appearance at Daman District

01 case wise fees basis on his appearance at Diu District

01 Regular post of Public Prosecutor for UT of Daman & Diu is vacant

Asst. Public Prosecutors

01 Regular selected through UPSC for Daman District

01 Regular selected through UPSC for Diu District

9/10

Director

Role and Responsibility

(a) Supervisory and Administrative Responsibility:

The Director of Prosecution is the Head of the Department and in his capacity as such Head of Department, is also the Reporting and Controlling Authority in respect of Public Prosecutors (PPs) and Assistant Public Prosecutors (APPs).

The day –to –day functioning of the offices of the PPs and of the APPs including the PPs in High Court and those of Special PPs appointed by the Government come under the direct administrative control of the Director of Prosecution. Further, the Director of Prosecution would be responsible for conduct of cases by Assistance Public Prosecutor/Public Prosecutor and Special Public Prosecutor at the subordinate courts as well as the High Court for smooth, proper and effective conduct of the prosecution cases and issue suitable directions for the aforesaid purpose from time to time as and when deemed necessary.

(b) Rendering of Opinion:

The Principal functions of the Director of Prosecutions would include the administrative control of the prosecution machinery, the scrutiny by his department of every charge sheet field by the police, scrutiny of the cases where the police decide not to initiate prosecution, examination of all cases of acquittal and so on. and also gives advice to the other Government Departments whenever required in criminal cases. Legal opinion is sought on the matters relating to the feasibility of filing appeals/revision against the Orders of Courts in criminal cases/ Appeals etc.

The Director would call for report that ends in acquittal from the Prosecutors who conducted the case as well as from the superintendent of the Police of the area.

(c) Training:

Director also organizes trainings, seminars, workshop for the Prosecutors & Investigate officers, so that they are kept abreast with the up to date knowledge, interpretation and amendments of various law and latest citations.

The Director would hold regularly review meeting of the Assistant Public Prosecutors/ Public Prosecutors/ Special Prosecutors & District Superintendent of Police including investigation officers for ensuring proper co-ordination and for satisfactory functioning.

C/9

(d) Financial Responsibility:

Director looks after the financial matters and is the Budget Controlling Authority for offices of PPs and Apps.

PUBLIC PROSECUTORS/STANDING COUNCIL (Hon'ble High Court)

Standing council for Hon'ble High Court of Bombay Bench is appointed under the Cr.P.C. There is 01 standing council appointed on appearance basis, fees applicable at prescribed by Govt. of India Ministry of Law & Justice, He is Gazetted Officer in "Group A" cadre.

Duties of Government Standing Council appearing on the criminal side in the High Court.

1) Appearance in the High Court in the cases marked to them by the officers of the departments.
2) Rendering advice in cases decided against the government on whether appeal/review/revision should be filed.
3) Keeping the concerned officials informed of important developments in cases assigned to them, especially stay order.
4) Furnishing periodicals reports and statements, as well as render detailed accounts.
5) Performing such other duties of a legal nature assigned to him from time to time.
6) Whenever, Court passes any order against the investigation agency or direction if any Standing Council shall give the feedback to the Director of Prosecution immediately.
7) The Standing Council shall appear in the appeal and revision against the Orders of the lower courts and other miscellaneous application filed before Hon'ble High Court against the state, writ Petitions etc.

PUBLIC PROSECUTORS (Session Court)

One sanction post of regular Public Prosecutor of Daman & Diu is vacant Therefore Public Prosecutor are appointed u/s. 24 of Cr.P.c. on case wise fees payable on their appearance. There is a Regular cadre of Prosecuting Officers who are promoted as Public Prosecutors otherwise as per Recruitment Rules, post filling on deputation and if not available on deputation then Public Prosecutor are appointed as per case wise fees payable on their appearance basis. They are Gazetted Officers in "Group A" Cadre. Their offices are situated in the respective court buildings.

The offices of the PPs are situated at the following places:

Sr. No.	Places	Phone No.	Number of PPs	Number of Courts
1	Daman District & Sessions Court Bldg. (Ground Floor)	O. 2230567 R. 2230905	01 (Additional charge is given to PP in Special Court as Notified under any special Act.)	01
2	Diu District & Sessions Court Bldg. (1st Floor)	O. 253232	01 (Additional charge is given to PP in Special Court as Notified under any special Act.)	01

The Public Prosecutors are conducting Prosecution of cases on behalf of the UTs of Daman & Diu in the Session Courts of their respective District. The cases handle by the PPs are of grave in nature and

exclusively tribal by the Sessions Courts. In addition to their above duties the PPs are appointed as Special Public Prosecutors before specially designated courts under various special acts like NDPS Act, under Prevention of Corruption Act, Prevention of Atrocities of SC & ST etc.

The Public Prosecutor appointed in the sessions Court appears in Appeals and Revision against the Orders of the lower courts. The PPs also appear in the hearing of the bail applications on behalf of the UTs.

The Public Prosecutors will work in close coordination with the Police Department, assist it is speedy and efficient prosecution of criminal cases and render advice and assistance from time to time.

Whenever, Court passes any order against the investigation agency, or any directions the Prosecutor shall give feedback to the Director of Prosecution immediately.

SPECIAL PUBLIC PROSECUTOR

The Government has power to appoint Special Public Prosecutor u/s. 25(8) of Cr.P.C. in any court. The special Public Prosecutor's role is no different from that of a Prosecutor appointed in a normal course and his duties remain quite the same. The Special Public Prosecutor is appointed by individual notifications governing specific cases.

Working hours:

Working hours of the PPs/APPs are from 10.00 a.m. to 6.00 p.m. with lunch break from 2 p.m. to 2.30 p.m. However from 10 a.m. to 2 p.m. and from 2.30 p.m. to 6.00 p.m. they remain in their respective Courts, whenever cases are fixed for hearing by the courts.

(a) Review of Judgment/Orders:

The final Judgment and Order of either the Hon'ble High Court or Lower Court in a particular case is not an end in justice delivery system. Once the Judgment and Order is delivered by the court the same is required to be scrutinized by the Public Prosecutor who appeared in the matter. The PP has to examine the Judgement and Order Vis-à-vis the feasibility of preferring an appeal to the next higher court and forward his /her opinion in the matter to the concerned Investigating Officer. The said

C|6

officer after the requisite processing of the same has to forward the file through S.P. to Home Department. The said file is then forwarded to Director of Prosecution through Home Department to render his/her opinion in the matter vis-à-vis the Judgment/Order of the court and the opinion thereon of the concerned PP and then submit the file to the Home Department for the decision of the Government.

(b) Drawing and disbursing officer

The Public Prosecutor of respective office also performs the functions of drawing and disbursing officer.

ASSISTANT PUBLIC PROSECUTORS

Assistant Public Prosecutor are Gazetted Officer in Group "B" cadre and are appointed u/s 25 of the Criminal Procedure Code. At present 02 APPs are working under this Directorate one is at Daman District and one is at Diu District. The APPs are appointed for conducting Criminal cases in the Courts of Chief Judicial Magistrates and in the Courts of Judicial Magistrate First Class.

The Details of the offices of the APPs are as under:

Sr. No.	Places	Address	Phone	No. of APPs
1	Daman	District & Session Court Bldg. (1st Floor)	O. 2230022 R. 2230122	01
2	Diu	District & Sessions Court Bldg. (Ground Floor)	O. 253232	01

Duties and functions of Asst. Public Prosecutors:

(a) Basic functions:

The Asst. Public Prosecutors are conducting criminal cases before Chief Judicial Magistrates/ Judicial Magistrate First Class.

In Addition to cases filed by the police, they also deal with criminal cases of other Departments such as food and Drugs Administration, Labour Department, Excise Department, Forest Department, Town and Country Planning Department etc.

In addition to that when investigation agency is sending the charge sheet to the concerned Prosecutor for scrutiny then they ensure that

evidence are properly collected by the investigation agency in accordance with the necessary ingredients of the crime.

Working Hours

As applicable to the Public Prosecutor.

(b) Review of Judgement/Orders:

The final Judgment and Order of either the Hon'ble High Court or Lower Court in a particular case is not an end in justice delivery system. Once the Judgment and Order is delivered by the court the same is required to be scrutinized by the Assistant Public Prosecutor who appeared in the matter. The APP has to examine the Judgment and Order Vis-à-vis the feasibility of preferring an appeal to the next higher court and forward his /her opinion in the matter to the concerned Investigating Officer. The said officer after the requisite processing of the same has to forward the file through S.P. to Home Department. The said file is then forwarded to Director of Prosecution through Home Department to render his/her opinion in the matter vis-à-vis the Judgment/Order of the court and the opinion thereon of the concerned APP and then submit the file to the Home Department for the decision of the Government.

(c) Drawing and disbursing officer

The senior most Assistant Public Prosecutor of respective office also performs the functions of drawing and disbursing officer.

(d) Delegado :

The function of "Delegado" (who corresponds to the Representative of the Government before the court) is performed by the Assistant Public Prosecutor under family laws of Goa, Daman and Diu.

In their capacity as " Delegado" the APPs play a major role in the Adoption of Minors, Inventory Proceedings, Wills, Succession Deeds etc. To protect the interest of minor. They also grant sanctions, for exemption from mandatory marriage notice period for marriages in cases of urgent marriage Registrations.

Motto

The Prosecutors in India, plays an important and indispensable role in the Criminal Justice System. He is supposed to render impartial assistance to the court of law in deciding the criminal cases. Thus Prosecutors represents the most important and traditionally respected section of the society. The profession has undoubtedly played its role altruistically in the larger interest of society.

'JUSTICE FOR ALL'

9/33

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

नागरिक चार्टर

अभियोजन निदेशालय

C/32

नागारिक चार्टर

अभियोजन निदेशालय, दमण एवं दीव के नागारिक चार्टर को संघ प्रदेश दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक महोदय ने डायरी सं 5843 दिनांक 27/08/2012 द्वारा अनुमोदित किया है।

विषय- सूची

- परिचय
- संगठन
- निदेशक
- लोक अभियोजक
- विशेष लोक अभियोजक
- सहायक लोक अभियोजक
- आर्दशोक्ति

परिचय

अभियोजन निदेशालय का गठन वर्ष 2012 मे हुआ। संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन के अभियोजन का मुख्यालय अभियोजन निदेशालय है जिसका कार्यालय मोटी दमण में है।

निदेशालय का संचालन एक निदेशक के द्वारा किया जाता है जो पूर्ण रूप से संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन में अभियोजन का पर्यवेक्षण प्राधिकारी होता है। निदेशक जाँच एजेंसी और अभियोजकों के मध्य समन्वयक की भूमिका अदा करता है। यह अभियोजन एजेंसी जाँच एजेंसी और न्यायपालिका से पृथक एक स्वतंत्र एजेंसी है।

निदेशालय संघ प्रदेश दमण एवं दीव के अभियोजन को समस्त न्यायालयों में चलाये जाने के लिए जिम्मेदार है और उसे इस बात की स्वतंत्रता है कि वह किसी भी मामले को न्यायालय में दाखिल करने से पूर्व सबूतों की पड़ताल करे और इस बात को सुनिश्चित कर ले कि जाँच एजेंसी के द्वारा की गई जाँच विधि संगत है या नहीं।

संगठन

अभियोजन निदेशालय अभियोजन निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 25-ए के तहत नियुक्त किया गया है। अभियोजन निदेशालय के प्रशासकीय सचिव संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन के सचिव (गृह) हैं।

अभियोजन निदेशालय संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन के गृह विभाग के कार्यालयाध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण में दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 25-ए (3) के प्रावधानों के तहत कार्य करेगा।

वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई में दिनांक 11/08/2009 से तीन वर्षो की अवधि के लिए 01 स्थायी सलाहकार को नियुक्त किया गया है और दमण जिले और दीव जिले के लिए पृथक रूप से न्यायालय में हाजिर होने के लिए मामलावार शुल्क आधार पर 02 लोक अभियोजकों को नियुक्त किया गया है। दमण एवं दीव के लिए लोक अभियोजक (राजपत्रित वर्ग क) का 01 पद वर्तमान में रिक्त है और इसे लोक सेवा आयोग के द्वारा भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।

वर्तमान में सहायक लोक अभियोजक (राजपत्रित वर्ग ख) के 02 अनुमोदित पद हैं, जिसमें 01 दमण जिले के लिए और 01 दीव जिले के लिए है और वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमण एवं दीव में कार्यरत हैं। सभी अभियोजक निदेशालय के तहत कार्य करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के लोक अभियोजक को छोड़कर, एक-एक कार्यालय सहायक लोक अभियोजक एवं लोक अभियोजक के लिए संबंधित न्यायालय परिसरों में स्थापित किये गये हैं।

अभियोजन निदेशक का पद गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा फरवरी 2012 में सृजित किया गया है और इसके पश्चात दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक महोदय ने निदेशक के पद का सृजन कर उसकी नियुक्ति की। उसके बाद अभियोजन निदेशालय के कार्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया और इस प्रकार संघ प्रदेश दमण एवं दीव ने दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 25-ए (3) का अनुपालन किया, वर्तमान में अभियोजन निदेशालय हेतु कर्मचारियों के पदसृजन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

9/27

संगठनात्मक रूपरेखा

गृह विभाग

↓

अभियोजन निदेशक

पी. एस. मंगेरा

↓

स्थायी सलाहकार (लो.अ.) उच्च न्यायालय

भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय

द्वारा निर्धारित शुल्क लागू

↓

लोक अभियोजक (सत्र न्यायालय)	सहायक लोक अभियोजक
01 दमण जिले में हाजिर होने के आधार पर मामलावार शुल्क	01 दमण जिले के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा नियमित चयन
01 दीव जिले में हाजिर होने के आधार पर मामलावार शुल्क	01 दीव जिले के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा नियमित चयन
01 नियमित लोक अभियोजक का पद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में रिक्त है।	

निदेशक

भूमिका एवं दायित्व

(क) पर्यवेक्षण एवं प्रशासनीक दायित्व:

अभियोजन निदेशक विभागाध्यक्ष हैं और विभागाध्यक्ष होने के कारण अपने सामर्थ्य में वे लोक अभियोजक (पी.पी.) एवं सहायक लोक अभियोजक (ए.पी.पी.) का प्रतिवेदन एवं नियंत्रण कर सकते हैं।

लोक अभियोजक (पी.पी.) एवं सहायक लोक अभियोजक (ए.पी.पी.) के साथ उच्च न्यायालय के लोक अभियोजकों और सरकार के द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों के कार्यालय के दैनिक क्रियाकलापों पर अभियोजन निदेशक का सीधा नियंत्रण है। पुनः, अभियोजन निदेशक अधीनस्थ न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय में निर्विघ्न, उपयुक्त एवं प्रभावी रूप से अभियोजन मामलों में सहायक लोक अभियोजक/लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक के के प्रति उत्तरदायी होंगे और उपयुक्त के लिए समय-समय पर जब कभी जरूरी हुआ तो अनुकूल दिशा-निर्देश देंगे।

ख) सलाह प्रदान करना:

अभियोजन निदेशक का प्रधान कार्य अभियोजन संगठन पर प्रशासनीक नियंत्रण करना है, उनके विभाग द्वारा पुलिस द्वारा फाइल होनेवाले प्रत्येक आरोपपत्रों की संवीक्षा करना, उन मामलों की संवीक्षा करना जिसमें पुलिस ने अभियोजन नहीं लगाने का निर्णय लिया है, उन सभी मामलों में जहाँ दोषमुक्त किया गया है उस पर संवीक्षा करना और इसी प्रकार, अन्य विभागों को अपराधिक मामलों में, अगर आवश्यक हो तो, सलाह प्रदान करना। अपराधिक मामलों / अपीलों में न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील/संशोधित याचिका आदि से संबंधित मामलों में माँगी गई विधिक सलाह प्रदान करना।

निदेशक दोषमुक्त हुए मामलों की रिपोर्ट संबंधित अभियोजक और उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक से माँग सकता है।

ग) प्रशिक्षण:

निदेशक अभियोजकों एवं जाँच अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण, सेमीनार, कार्यशाला का आयोजन भी करेंगे, ताकि विविध कानूनों की व्याख्या एवं उनमें संशोधन तथा नवीनतम उद्धरणों के प्रति उनका ज्ञान अद्यतन हो सके।

निदेशक नियमित आधार पर सहायक लोक अभियोजकों / लोक अभियोजकों / विशेष अभियोजकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों और जाँच अधिकारियों के साथ उपयुक्त समन्वय को सुनिश्चित किया जा सके और संतोषप्रद कार्य के लिए बैठक करेंगे।

घ) वित्तीय दायित्व:

निदेशक लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक के कार्यालयों के बजट नियंत्रण एवं वित्तीय मामलों को देखेंगे।

लोक अभियोजक / स्थायी सलाहकार
(माननीय उच्च न्यायालय)

माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई पीठ के लिए स्थायी सलाहकार की नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किया जाता है। 01 स्थायी सलाहकार को उपस्थिति आधार पर नियुक्त किया गया है, जिनके लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा निर्धारित शुल्क लागू हैं। वह वर्ग 'क' संवर्ग वाले राजपत्रित अधिकारी होते हैं।

अपराधिक पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में उपस्थित होने वाले स्थायी सलाहकार के कार्य

1) विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये गये मामलों में उच्च न्यायायल में उपस्थित होना।
2) सरकार के विरूद्ध निर्धारित मामलों में अपील/पुर्नविचार/संशोधन के लिए सलाह प्रदान करना।
3) संबंधित कर्मी को उनके खिलाफ जाने वाले मामलों के नतीजे, विशेषकर स्थगन आदेश के प्रति अवगत कराना।
4) सावधिक रिपोंटों एवं व्यक्तव्य , साथ ही विस्तृत विवरण प्रदान करना।
5) समय समय पर विधिक प्रकृति वाले दिये गये कार्यों को करना।
6) जब कभी, न्यायालय द्वारा किसी जाँच एजेंसी के विरूद्ध कोई आदेश या दिशा-निर्देश दिया गया हो तो तत्काल अभियोजन निदेशक्र को उससे अवगत कराना।
7) स्थायी सलाहकार अवर न्यायालय के द्वारा दिये गये विरूद्ध आदेशों और राज्य के विरूद्ध, समादेश याचिका आदि विविध आवेदनों के लिए माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होंगे।

लोक अभियोजक (सत्र न्यायालय)

दमण एवं दीव के लोक अभियोजक का एक नियमित अनुमोदित पद रिक्त है। अतः, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 24 के तहत मामलावार उपस्थिति पर शुल्क अदायगी के तहत लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया है। नियमित संवर्ग आधार पर एक अभियोजन अधिकारी हैं जिन्हें पदोन्नत करके लोक अभियोजक बनाया गया है अन्यथा चयन नियमावली के अनुसार, पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना है, और अगर प्रतिनियुक्ति आधार पर कोई उपलब्ध न हो तो लोक अभियोजकों को मामलावार उनकी उपस्थिति के आधार पर शुल्क अदायगी के तौर पर नियुक्त किया गया है। वे संवर्ग 'क' के राजपत्रित अधिकारी हैं। उनके कार्यालय संबंधित न्यायालय परिसर में हैं।

लोक अभियोजकों का कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर है:-

क्र.सं.	स्थल	दूरभाषा सं.	लोक अभियोजकों की संख्या	न्यायालयों की संख्या
1	दमण जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर (भूतल)	का. 2230567 आ. 2230905	01 (लोक अभियोजकों को किसी भी विशेष अधिनियम के तहत अधिसूचित करके विशेष न्यायालय हेतु अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है)	01
2	दीव जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर (प्रथम तल)	का. 253232	01 (लोक अभियोजकों को किसी भी विशेष अधिनियम के तहत अधिसूचित करके विशेष न्यायालय हेतु अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है)	01

लोक अभियोजक अपने संबंधित जिलों के सत्र न्यायालयों में संघ प्रदेश दमण एवं दीव की ओर से अभियोजन मामलों को चलाते हैं। लोक अभियोजकों के द्वारा चलाये जाने वाले मामले गंभीर प्रकृति के और सिर्फ सत्र न्यायालयों में ही चलाये जाते हैं। उपर्युक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त लोक अभियोजकों को विशेष

संबंधित न्यायालयों में विविध विशेष अधिनियम जैसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, अजा एवं अजजा अत्याचार रोकथाम अधिनियम आदि के तहत नियुक्त किया जाता है।

लोक अभियोजक को अवर न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील एवं पुर्नविचार याचिका दाखिल करने के लिए भी सत्र न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। लोक अभियोजक संघ प्रदेश की ओर से जमानत आवेदन की सुनवाई में भी उपस्थित होते हैं।

लोक अभियोजक पुलिस विभाग के साथ निकटतम समन्वय रखने का कार्य करेंगे, अपराधिक मामलों में प्रभावी और तीव्र अभियोजन के लिए सहायता देंगे और समय समय पर सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे।

जब कभी, न्यायालय द्वारा किसी जाँच एजेंसी के विरूद्ध कोई आदेश या दिशा-निर्देश दिया गया हो तो तत्काल अभियोजन निदेशक को उससे अवगत कराना होगा।

विशेष लोक अभियोजक

सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 25(8) के तहत किसी भी न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करने की शक्ति है। विशेष लोक अभियोजक की भूमिका सामान्य रूप से नियुक्त लोक अभियोजकों से अलग नहीं है और उनका कार्य भी बहुत कुछ उनके समान ही है। विशेष लोक अभियोजक को व्यक्तिगत अधिसूचना के तहत विशेष मामलों के लिए नियुक्त किया जाता है।

कामकाज की अवधि:

लोक अभियोजकों/सहायक लोक अभियोजकों के कामकाज का समय 10.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक है साथ में 2 बजे अपराह्न से 2.30 बजे अपराह्न तक खाने का समय है। हालांकि 10बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक और 2.30 बजे अपराह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक वे संबंधित न्यायालयों में उपस्थित रहते हैं और न्यायालय के द्वारा निर्धारित मामलों में समयानुसार उपस्थित रहते हैं।

(क) निर्णय /आदेश का पुनरीक्षण:

किसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय या अवर न्यायालय का निर्णय और आदेश न्याय प्रदान प्रणाली का अंत नहीं है। एक बार न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश सुनाये दिये जाने के बाद इस मामले को चलाने वाला लोक अभियोजक इसके लिए आवश्यक संवीक्षा करते हैं। निर्णय एवं आदेश की जाँच करके लोक

अभियोजक उसे अगले उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए अपनी सलाह के साथ उस मामले को संबंधित जॉच अधिकारी को भेजते हैं। कथित अधिकारी आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत उसे पुलिस अधीक्षक के जरिये गृह विभाग को भेजता है। वह संचिका उसके बाद अभियोजन निदेशक को गृह विभाग द्वारा न्यायालय के निर्णय/आदेश को ध्यान रखते हुए उनके सुझाव हेतु भेजा जाता है ततोपरांत संबंधित लोक अभियोजक का सुझाव लेकर उस संचिका को गृह विभाग के जरिये सरकार के निर्णय के लिए भेजा जाता है।

ख) आहरण एवं वितरण अधिकारी

लोक अभियोजक संबंधित कार्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्य का निर्वाहण भी करेंगे।

सहायक लोक अभियोजक

सहायक लोक अभियोजक वर्ग 'ख' संवर्ग वाले दंड प्रक्रिया कोड के अनुच्छेद 25 के तहत नियुक्त राजपत्रित अधिकारी होते हैं। वर्तमान समय में इस निदेशालय के तहत 02 सहायक लोक अभियोजक कार्य कर रहे हैं जिनमें एक दमण जिले में और दूसरा दीव जिले में तैनात हैं। सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों मे अपराधिक मामलों को चलाने के लिए होता है।

लोक अभियोजकों का कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर है:-

क्र.सं.	स्थल	पता	दूरभाषा सं.	सहायक लोक अभियोजकों की संख्या
1	दमण	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर (प्रथम तल)	का. 2230022 आ. 2230122	01
2	दीव	जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर (भूतल)	का. 223232	01

सहायक लोक अभियोजकों के ड्यूटी एवं कार्य:

(क) मूल कार्य:

सहायक लोक अभियोजक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अपराधिक मामलों को चलाते हैं।

पुलिस के द्वारा दायर मुकदमों के अतिरिक्त ये अन्य विभागों जैसे खाद्य एवं औषध प्रशासन, श्रम विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग, शहर एवं नगर योजना विभाग आदि के अपराधिक मामलों को भी चलाते हैं।

इसके अतिरिक्त जब कोई जाँच एजेंसी कोई आरोप पत्र संबंधित अभियोजक को भेजती है तो वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जाँच एजेंसी ने उचित रूप से अपराध से संबंधित आवश्यक सबूतों को इक्ठ्ठा किया है ।

कामकाज की अवधि:

लोक अभियोजक के समान ही लागू।

(ख) निर्णय / आदेश का पुनरीक्षण:

किसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय या अवर न्यायालय का निर्णय और आदेश न्याय प्रदान प्रणाली का अंत नहीं है। एक बार न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश सुनाये दिये जाने के बाद इस मामले को चलाने वाला सहायक लोक अभियोजक इसके लिए आवश्यक संवीक्षा करते हैं। निर्णय एवं आदेश की जाँच करके सहायक लोक अभियोजक उसे अगले उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए अपनी सलाह के साथ उस मामले को संबंधित जाँच अधिकारी को भेजते हैं। कथित अधिकारी आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत उसे पुलिस अधीक्षक के जरिये गृह विभाग को भेजता है। वह संचिका उसके बाद अभियोजन निदेशक को गृह विभाग द्वारा न्यायालय के निर्णय/आदेश को ध्यान रखते हुए उनके सुझाव हेतु भेजा जाता है ततोपरांत संबंधित सरकारी लोक अभियोजक का सुझाव लेकर उस संचिका को गृह विभाग के जरिये सरकार के निर्णय के लिए भेजा जाता है।

(ग) आहरण एवं वितरण अधिकारी

सबसे वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजक संबंधित कार्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्य का निर्वाहण भी करेंगे।

(घ) प्रतिनिधि :

'प्रतिनिधि' (जो न्यायालय के समक्ष सरकार का प्रतिनिधित्व करता है) का कार्य गोवा, दमण एवं दीव कुटुंब कानून के तहत सहायक लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है।

'प्रतिनिधि' की हैसियत से, सहायक लोक अभियोजक अवयस्कों के हितरक्षा के लिएअवयस्क को गोद लेने, संपत्ति प्रक्रिया, वसीयत, उत्तराधिकार दस्तावेज आदि को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतितत्काल प्रकृति के विवाह पंजीकरण के मामलों में वे आवश्यक विवाह सूचना के अवधि की छूट प्रदान करने का आदेशानुदान भी करते हैं।

आदर्शोक्ति:

भारत में अभियोजक, अपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य भूमिका अदा करते हैं। अपराधिक मामलों के निपटान में न्यायालयों को निर्णय लेने में उनके द्वारा निष्पक्ष सहायता की उम्मीद की जाती है। इस प्रकार अभियोजक अति महत्वपूर्ण और परंपरागत रूप से समाज के सम्माननीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह व्यावसाय नि:संदेह समाज के हित में उपकारी भूमिका अदा करते हैं।

'न्याय सबके लिए'